भारतीय शिक्षा प्रणाली : विकास और चुनौतियाँ

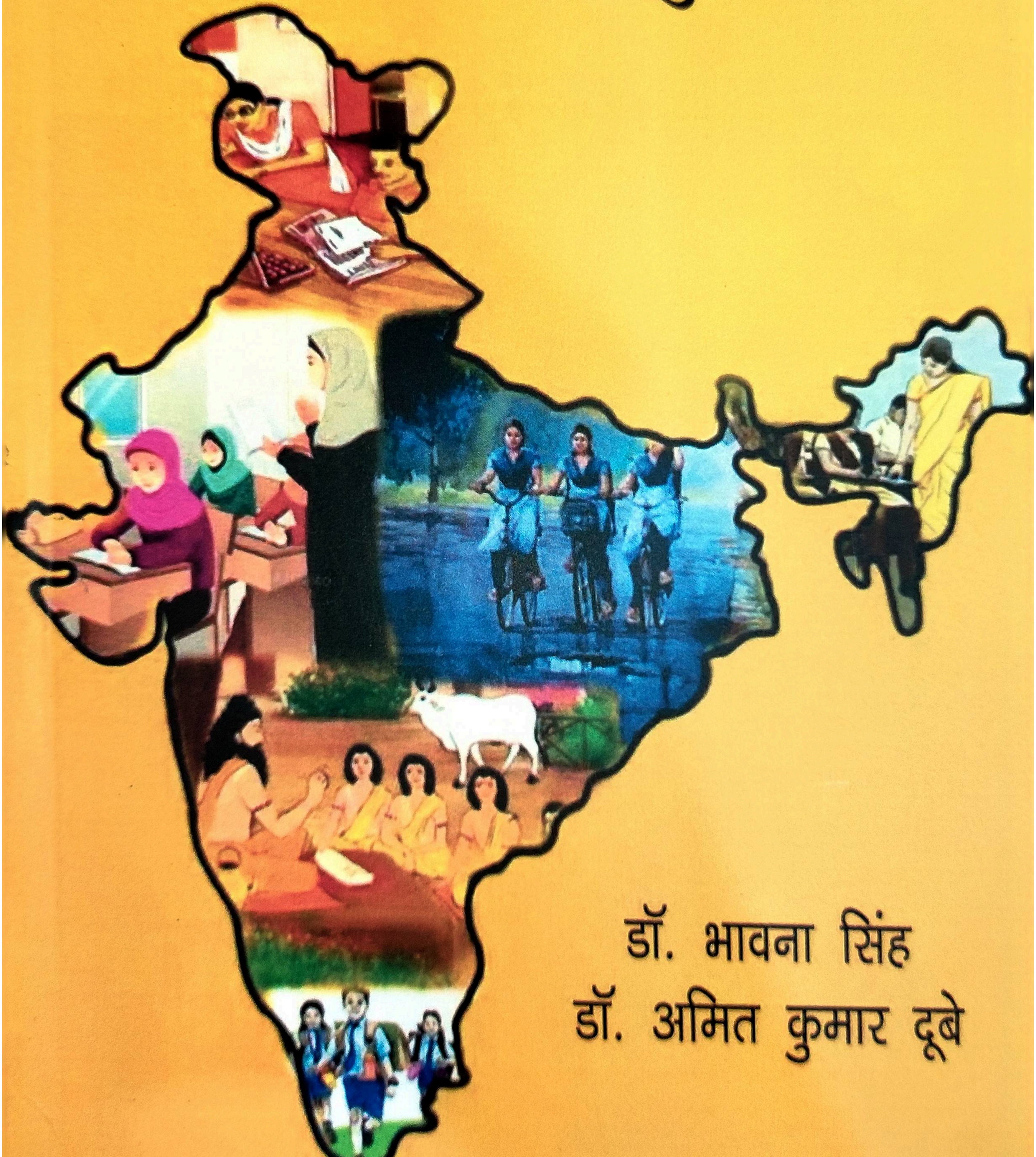

डॉ. भावना सिंह
डॉ. अमित कुमार दूबे

डॉ० भावना सिंह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर बी०एड० विभाग में अध्यापनरत है। इन्होंने एम०एड०एम०ए० (शिक्षाशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास), यू०जी०सी० (नेट), जे०आर० एफ० एवं एस०आर०एफ० छात्रवृत्ति के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से डी०फिल० की उपाधि प्राप्त की है। 13 वर्ष का शिक्षण एवं शोध अनुभव भी है। इन्होंने 70 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार / कॉन्फ्रेंसो में शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण किया है एवं 30 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में लेख भी प्रकाशित हुए हैं। जिसमें से 16 शोध पत्र यू०जी०सी० लिस्टेड एवं यू०जी०सी० केयर लिस्टेड जर्नल एवं 20 सम्पादित पुस्तकों में अध्याय प्रकाशित है।दो राष्ट्रीय एवं पॉच अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त इसके अतिरिक्त पॉच पुस्तकें अनेक पाठ्य सामग्री एवं e-content भी निर्मित किए हैं।

ई०मेल०–bhavnasinghau@gmail.com

डॉ० अमित कुमार दूबे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उ०प्र० से शिक्षक–शिक्षा विभाग में पी–एच०डी० की उपाधि प्राप्त की है। श्री राम सुहाग तिलक कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन के शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशासनिक एवं शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे है। एम०ए०(मनोविज्ञान और अंग्रेजी) बी०एड०, एम०एड० (स्वर्ण पदक), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग,पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा प्राप्त की है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (शिक्षाशास्त्र) तथा विविध प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं में आलेख व शोध पत्र प्रकाशित है। हिन्दी कल्चरल सेन्टर टोक्यो, जापान के सदस्य और नेपाल के प्रतिष्ठित संस्था द्वारा सम्मानित भी है। इन्होंने 40 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार / कॉन्फ्रेंसो में शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण किया है एवं 30 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में लेख भी प्रकाशित हुए हैं। जिसमें से 14 शोध पत्र यू०जी०सी० लिस्टेड एवं यू०जी०सी० केयर लिस्टेड जर्नल एवं 16 सम्पादित पुस्तकों में अध्याय प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त 22 पुस्तकें और लगभग 10 पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाण्डौ, नेपाल द्वारा प्रकाशित हुई है एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी निर्मित किए हैं। शिक्षा, साहित्य, भाषा, संस्कृति एवं विविध विमर्श से सम्बंधित 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है।

ई.मेल–dramitkrdubey@gmail.com

KALINDI PRAKASHAN
Aira Bujurg, Azamgarh. U.P
Mo.: +91 9140270320; +91 9453904139
Email: kalindiprakashan@gmail.com

ISBN: 978-81-968864-9-3

₹ 795.00

अनुक्रम

सम्पादकीय 3

यूनिट - 01 : समकालीन भारत में शिक्षा

1. प्राचीन ज्ञान परम्परा और योग 15
- डॉ.दिनेश कुमार

2. वैदिक काल में शिक्षा संस्थान 22
- डॉ.उपासना जोशी

3. वैदिक काल में शिक्षा संस्थानों के रूप में : एक अनुसंधान 27
- अमित सिंह

4. वैदिक काल में गुरू-शिष्य सम्बन्धों की प्रगाढ़ता 35
- डॉ. बी.एस. गुप्ता/ मृत्युञ्जय कुमार

5. बौद्ध कालीन शिक्षा 42
- राम औतार सिंह

6. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली 46
- डॉ० अनीता /अंजु ललित

7. प्राच्य-पाश्चात्य विवाद (1813 का आज्ञा पत्र) 59
- डॉ. भुपेन्द्र कौर

8. कोठारी आयोग के उद्देश्य एवं अनुशंसाएँ का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता 66
- डॉ. हेमेन्द्र कुमार सिंह/तेज बहादुर

9. वैदिक काल में शिक्षा 73
- *डॉ. रतन सिंह*

10. वैदिक शिक्षा व्यवस्था में गुरु-शिष्य सम्बन्ध का वर्तमान में प्रासंगिकता 82
- *डॉ. रमेन्द्र तिवारी*

11. बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली 88
- *अजीत कुमार*

यूनिट - 02 : बदलते परिदृश्य में शिक्षण प्रणाली

12. प्रौढ़ शिक्षा 98
- *डॉ० हरीश कुमार यादव*

13. शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 111
- *डॉ. शैलेश मिश्र*

14. मध्याह्न भोजन योजना अथवा मिड डे मील योजना : एक अध्ययन 118
- *डॉ. अनुपमा सिंह*

15. त्रिभाषा सूत्र: एक परिचय 123
- *सुशील कुमार*

16. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दूरस्थ शिक्षा 131
- *सुजाता कुमारी*

17. जनसंख्या शिक्षा 137
- *डॉ. वेदप्रकाश/डॉ.गिरीश कुमार सिंह*

18. महिला शिक्षा का बदलता सोच और स्वरूप 147
- डॉ. सुखदेवसिंह सेंगर

यूनिट - 03 : भारतीय संविधान एवं शिक्षा

19. भारत का संविधान, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता 155
- डॉ. संदीप कुमार पाण्डेय

20. मौलिक अधिकार, नीति निदेशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य 160
- डॉ. शैलेश कुमार पाण्डेय

यूनिट - 04 : स्वतंत्र भारत में शिक्षा सम्बंधी चुनौतियाँ

22. शिक्षा का व्यवसायीकरण: चुनौतियाँ और संभावनाएं 167
- डॉ. राजेश्वरी गर्ग/राजन पटेल

23. स्वतंत्र भारत मे उच्च शिक्षा का विकास 175
- सीमा रानी

24. समाजीकरण में मीडिया की भूमिका का
आलोचनात्मक विश्लेषण 180
- कृष्ण कुमार भारती

25. सामाजिक अन्याय साम्प्रदायिक संघर्ष 186
- डॉ.मनीषा दुबे

26. सामाजिक अन्याय की अवधारणा एवं मानवीय संघर्ष 191
- डॉ.राजेश एक्का/अनीस अहमद खान

27. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) 197
- डॉ. जितेन्द्र कुमार

Unite - 05 : Indian Constitution and Education

28. Social Injustice and Communal Conflict in India : Tracing the Roots in Ancient and Medieval Times and Analysing its impact in the present Era 204

- *Suneel Kumar/Dr. P.K. Astalin*

29. Indian Constitution: An Analysis of Directive Principles of State Policy 209

- *Dr. Amrita Chaudhary*

30. Fundamental Rights In The Indian Constitution Are The Lifelne Of Democrcy 219

- *D.P. Kori/Bharti Kori*

प्राच्य-पाश्चात्य विवाद (1813 का आज्ञा पत्र)

डॉ. भुपेन्द्र कौर
शिक्षाशास्त्र विभाग
आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (यू0पी0)

प्रस्तावना - सन् 1813 का आज्ञा पत्र ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सबसे बडी धटना शैक्षिक घटनाओं में से एक थी। यह आज्ञापत्र ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रत्येक 10 वर्षों में नवीनीकरण के लिए किया जाता था। सन् 1813 में जब यह आज्ञापत्र ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश किया गया तो इसमें 43 धारा को जोडा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि "प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रूपये की धनराशि साहित्य के पुनरूत्थान और उन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारम्भ और प्रसार के लिए तथा ब्रिटिश संसद के लिए व्यय की जायेगी।" यह धारा उस समय ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे, विल्वर फोर्स तथा चाल्र्स ग्राण्ट के प्रयासों से जोडी गयी। सरकार के द्वारा यह प्रथम प्रयास शिक्षा के कत्र्तव्यों के प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने का था।

अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कम्पनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना आरम्भ हुआ। इस नीति के अन्तगत कम्पनी ने सन् 1833 तक उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं की स्थापना की।

प्राच्य-पाश्चात्य विवाद-

सन् 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रूपये की धनराशि को व्यय करने की विधि निश्चित नही की। अतः एक विवाद उठ खडा हुआ, जिसमें विवाद के विषय निम्न थे-

(1) उद्देश्य - जनसाधारण में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार किया जाये या थोडे से लोगों में उच्च शिक्षा को महत्व दिया जाये।

(2) माध्यम - शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषाएँ, संस्कृत, अरबी, फारसी रखी जायें या देशी भाषाएँ या अंग्रेजी।

(3) विषय - अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाये या प्राचीन ज्ञान-विज्ञान तथा भारतीय साहित्य को विषय बनाया जाये। अंग्रेजी

के समर्थक कम्पनी के नवयुवक अधिकारी, ईसाई, पादरी तथा ग्राण्ट थे। राजा राममोहन राय भी इस मत के प्रबल समर्थक थे।

प्राच्य - पाश्चात्य विवाद (Oriental-Occidental Controversy)-सन् 1813 के "आज्ञा-पत्र" की 43 वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी पर रखा और उसे उनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रूपये की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। किन्तु "धारा" में इस बात का स्पष्टीकरण नही किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाये- प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर ? फलत' इस प्रश्न को लेकर कम्पनी के कर्मचारीयों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खडा हुआ। इस विवाद को 'प्राच्य-पाश्चात्य विवाद' की संज्ञा दी गई। इस विवाद में भाग लेने वाले मुख्य दो दल थे-प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी (Orientalists & Occidentalists)।

इस प्रकार प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद बीस वर्ष तक चलता रहा। यह निश्चित करना असम्भव हो गया कि सन् 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार जो धनराशि शिक्षा के लिए निशिचत हुई है उसे किस ढंग से व्यय किया जाए। 10 जून, 1934 को मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउन्सिल के सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। मैकाले विधि और अंग्रेजी साहित्य का प्रकाण्ड विद्वान था। प्राच्य-पाश्चात्यविवादों को हल करने के लिए विलियम बैटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले से कहा गया कि वह सन् 1813 के आज्ञापत्र की शिक्षा सम्बन्धी धारा की व्याख्या करे तथा 1 लाख रूपये की धनराशि को व्यय करने पर कानूनी मत प्रकट करे।

प्राच्यवादी-(Orientalists)-प्राच्यवादी दल में कम्पनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। इसमें सर्वप्रथम स्थान, वारेन हेस्टिंग्ज और जानेथन डंकन का था। जिन्होंने "कलकत्ता मद्रास" और "बनारस संस्कृत कॉलेज" की सृष्टि करके प्राच्यवादी नीति को बंगाल की "लोक-शिक्षा-समिति" (General Council of public Instruction) के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इन सदस्यों में दो मुख्य थे-"समिति" का मंत्री विल्सन (H.H. Wilson) और बंगाल का शिक्षा-सचिव, प्रिन्सेप (H.T. Prinsep)। प्रिन्सेप-प्राच्यवादी दल का नेता भी था।

कम्पनी के उपरोक्त कर्मचारी और प्राच्यवादी-नीति के अन्य पोषक, उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे। उनकी धारणा थी कि भारतवासियों को विभाजित रख कर ही उन पर शासन किया जा सकता था। अतः वे इस देश के निवासियों को अरबी, फारसी और सेस्कृत पर आधारित शिक्षा प्रदान करके, विभिन्न धर्मो, और जातियों में विभाजित रखाना चाहते थे। विल्सन इस बात का घोर विरोधी था कि भारतीय, अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके, उसके देशवासियों से समानता करने का दावा करें। प्रिन्सेप का दृढ विचार था कि भारतीयों में अंग्रेजी पर अधिकार प्राप्त करने की क्षमता नही है।

अन्य प्राच्यवादियों ने भारतियों को अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने के विपक्ष में तीन तर्क प्रस्तुत किये।

(1) भारत में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जायेगा।

(2) भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से उस भारतीय साहित्य का विनाश हो जायेगा, जिसमें अनेक गुणों का ज्ञान सेचित है।

(3) **टी. एन. सिक्वेरा के अनुसार**-"जब भारतीयों की अपनी स्वंय की एक प्राचीन और भव्य संस्कृति है, तब उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करना दोषपूर्ण नीति है।"

प्राच्यवादियें ने इस तर्क को उपस्थित करके इस बात पर बल दिया है कि भारतीयों की प्राचीन शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतः उनकी शिक्षा-प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाये और उनमें पाश्चात्य ज्ञान को कदावि प्रसार न किया जाये।

पाश्चात्यवादी-(Occidentalists)-पाश्चात्यवादी दल में कम्पनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे। वे सम्पूर्ण देश में यत्र-तत्र विखरे हुए थे। इसलिए, दल का न तो कोई संगठित स्वरूप था और न उनका कोई नेता ही था। फिर भी, उन्होने प्राच्यवाडियों की नीति का जमकर विरोध किया। उन्होने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा-मरणासन्न अवस्था को प्राप्त कर चकी है और उसे पुनर्जीवन प्रइान करना मानव-प्रयास से बाहर की बात है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह घोषित किया

कि अरबी फारसी और संस्कृत के साहित्यों में पुरातन और निरर्थक विचारों के अलावा किसी प्रकार का उपयागी ज्ञान नहीं मिलता है। अतः भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए, उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराया जाना परम आवश्यक है।

यहाॅ इस बात का उल्लेख करना उसंगत न होगा कि पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञानों के प्रसार का समर्थन किसी निस्वार्थ भावना से नहीं वरन् निज हित कीं भावना से प्रेरित होकर किया। उन्हें अपने व्यापीरक और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित "बाबू-वर्ग" की आवश्यकता थी। उन्हें यह बात असहा्र थी कि उनके देशवासी इंग्लैण्ड से आकर इन निम्न वर्ग में सम्मिलित हों। अतः उन्होंने यही अधिक विवेकपूर्ण समझाा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करके "बाबू-वर्ग" का निर्माण किया जाये।

इस प्रकार प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का विवाद सन् 1834 तक चलता रहा। अन्त में, जनवरी 1835 में 'लोक-शिक्षा-समिति' के मंत्री ने दोनों के वक्तव्यों को भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लाॅउ विलियम बैटिंक ;ठमदजपदबाद्ध के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया।

विवाद का मुख्य कारण (Main Cause of Controvercy)

विवाद का मुख्य कारण सन् 1813 के "आज्ञा'पत्र" की 43वीं धारा में प्रयोग किये गये दो शब्द थे-"साहित्य" और "भारतीय विद्वान"। प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों ने इन दोनों शब्दो की व्याख्या दो विभिन्न प्रकार से की। इस व्याख्याा पर प्रकाश डालते हुए, डाॅ श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है-"प्राच्यवादियों का कहना है कि इस धारा के 'साहित्य' शब्द के अन्तगत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य एवं भातीय विद्वान् का अर्थ है-इन दोनो भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का भारतीय विद्वान्। पाश्चात्यवादियों का मत था कि इन दोनो शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण नही है। 'साहित्य' में अंग्रेजी का भी विशेष स्थान है।

1813 का आज्ञापत्र

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के "आज्ञा-पत्र" का प्रत्येक बीस वर्ष के पश्चात् ब्रिटिश पार्लियामेण्ट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। इसी उद्देश्य से सन् 1813 में "आज्ञा-

पत्र" को पार्लियामेण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस अवसर पर घोर विरोध होते हुए भी ग्रांट और विल्बरफोर्स के दल को विजय प्राप्त हुई। सन् 1813 के "आज्ञा-पत्र" में अग्रंकित धरा को जोडकर भारत में शिक्षा-प्रसार का उत्तरदायित्व कम्पनी के ऊपर रखा गया-

"साहित्य के पुनरूद्धार और समन्नुति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों के ज्ञान प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम-से-कम 1 लाख रूपये की धनराशि पृथक रखी जायेगी और व्यय की जायेगी।"

"----a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of knowledge of sciences among the inhabitants of the British territories in India." – Charter of 1813, Section 43.

43वीं धरा की व्याख्या (Interpretation of 43rd Section)-मैकॉले ने अपने 'विवरण-पत्र' में सन् 1813 के "आज्ञा-पत्र" की 43 वी धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की है।-

(1) 1 लाख रूपये की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नही है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार भी व्यय कर सकती है।

(2) "साहित्य" शब्द के अन्तगत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नही, अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(3) "भारतीय साहित्य" मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है।

अंग्रेजी के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of English)

"आज्ञा-पत्र" क 43 वीं धारा की व्याख्या करने के बाद, मैकाले ने प्राच्य-शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खण्डन और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन बताते हुए लिखा-"भारत के निवासियों

में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान-कोष का अभाव है और वे इतननी अविकसित तथा गँवारू हैं कि जब तक उनसे किसी भी महत्त्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा।"

भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात्, मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत कीं अपेक्षा अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हुए लिखा-"एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के सम्पूर्ण साहित्य से कम महत्व नही है।"

"A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of Indian and Arabia." –Macaulay's Minute.

इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत को अध्ययन-क्षेत्र से बाहर निकाल कर मैकाले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया और उसके अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए-

(1) अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है।

(2) अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और पूर्वी समुद्र में व्यापार की भाषा बन सकती है।

(3) जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं से इंग्लैण्ड में और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं से रूस में पुनरूत्थान हुआ उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा।

(4) भारतीय-अरबी और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित है।

(5) भारतवासीयों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान् बनाया ता सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए।

(6) अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में एक ऐसे विद्वान वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हों पर रूचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा।

"It is possible thought English education to bring about

a class of persons, Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect."-Macaulay, H. Shary, ed. Macaulay's Minute. Selection from Educational Records, Part I, P-117.

उपयुक्त तर्कों के आधार पर मैकॉले ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य-शिक्षा की संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है और इनको बन्द कर दिया जाये। इनके स्थान र अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं की सृष्टि की जाये। अंग्रेजी भाषा का यशगान और समर्थन करते हुए, मैकॉले ने कहा-"अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है, वह उस विशाल ज्ञान-भण्डार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिनकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है।"

"English stands pre-eminent even among the language of the west, Whoever knows the English language has ready access to all the vast intellectual wealth, which all the wisest nations of the earth have created."

इस धारा का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कारण ग्रांट और विल्बरफोर्स द्वारा लगभग बीस वर्ष तक चलाए जाने वाले आन्दोलन की इतिश्री हुई। इसने भारतीयों की शिक्षा को कम्पनी का उत्तरदायित्व बताया। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोडा। नूरूल्ला व नायक के अनुसार-"1813 के आज्ञा-पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोडा।"

"The Charter Act of 1813 forms a turning point in the history of Indian education."- Nurullah & Naik: op.cit.,p.82.